MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:—

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958 by Shri M. P. Bhargava, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th December, 1967, and communicated to this House on the 16th December, 1967 and resolves that the following twenty members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely—

(1) Shri Bashweshwar Nath Bhargava.

(2) Shri Maharaj Singh Bharti.

(3) Chowdhry Brahm Parkash.

(4) Shri Krishna Kumar Chatterji.

(5) Shri Benoy Krishna Daschowdhury.

(6) Shri Hardayal Devgun.

(7) Shri C. T. Dhandapani.

(8) Shri Hari Krishna.

(9) Sardar Iqbal Singh.

(10) Shri Lakhan Lal Kapoor.

(11) Shri Bhanudas Ramchandra Kavade.

(12) Shri Latafat Ali Khan.

(13) Shrimati Sucheta Kripalani.

(14) Shri Bakar Ali Mirza.

(15) Dr. Sushila Nayar.

(16) Shri Jaganath Rao.

(17) Shri P. G. Sen.

(18) Shri Satya Narain Singh.

(19) Shri S. Xavier.

(20) Shri Diwan Chand Sharma."

(The motion was adopted).

18.16 hrs.

RECOGNITION OF TRADE UNIONS BILL

By Shri Madhu Limaye

श्री मधु लिमये : (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारियों में कामिक संघ के कार्य को प्रोत्साहन देने तथा मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कामिक संघों के बीच सामुहिक सौदाकारी की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): On a point of order. The Bill carries a financial memorandum which says that an expenditure of about Rs. 2 lakhs per year will be incurred on the trade union authority envisaged under this Bill. Now, I draw your attention to article 117(3) which says that if a Bill which if passed and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to this House consideration of the Bill. Now I will draw your attention to rule 65(2) of the Rules of Procedure, which says:

"If the Bill is a Bill which under the Constitution cannot be introduced without the previous sanction or recommendation of the President, the member shall annex to the notice such sanction or recommendation conveyed through a Minister, and the notice shall not be valid until this requirement is complied with."

This Bill does not annex such a notice to the effect that the President has given his assent to such a Bill. The rule specifically mentions that the sanction of the President must be obtained and it should be annexed to the Bill. This Bill does not annex such a recommendation. Therefore,

[Shri K. Narayana Rao]

it is improper and the consideration of the Bill should be postponed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would invite his attention to the Bulletin of 5th March where it is stated that the sanction of the President under the article that he quoted has been obtained. It has been printed there.

SHRI K. NARAYANA RAO: But what does the rule say? The rule says specifically that it must be annexed to the Bill; not that it should be published elsewhere.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Once the President's assent is published in our bulletin, I think it satisfies the rule, so far as this condition is concerned. That is my ruling.

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य की कोशिश अच्छी थी और मैं उन की तारीफ करता हूं । लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार जरा ज्यादा मेहनत करके वह आयें ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं चर्चा उठाना चाहता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य रूप से मान्यता देने के बारे में तथा उन में जो आपस में संघर्ष चलता है प्रतिनिधिकता को लेकर उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए यह विधेयक मैंने पेश किया है ।

जब नन्दा जी मजदूर मंत्री थे तब उन्होंने तरह तरह की आचार संहितायें कायम कीं थीं । लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि नन्दा साहब के भारत सेवक समाज की जो दुर्गति हुई, माधु समाज की जो दुर्गति हुई, वही दुर्गति नन्दा साहब के आचार संहिताओं की हुई है और व्यवहार में मालिकों ने इन आचार संहिताओं पर बिलकुल अमल नहीं किया । इसलिए अब समय आ गया है कि हम एक कानून बनायें और मालिकों के लिए, मैनेजमेंट के लिए यह बिल्कुल लाजिमी बना दें कि प्रतिनिधि संघों को उन्हें हर हालत में मान्यता देनी होगी । अब मान्यता के कानून में कई मतलब होते हैं । मान्यता का मतलब है कि मान्यता प्राप्त यूनियन जो पत्र लिखेगी, सुझाव देगी, तो मालिकों का यह फ़र्ज है कि उन पत्रों को के बारे में वे जवाब वगैरह दें, उन के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाई करें । इसलिए इस कानून के द्वारा प्रतिनिधिक संघों को लाजिमी रूप मेंमान्यता देने का इंतजाम किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में एक दूसरा सिद्धांत है, । आप जानते ही हैं कि आज विभिन्न उद्योगों में कई यूनियंज हैं । ऐसे उद्योग भी हैं और खास कर सार्वजनिक क्षेत्र में के जैसे भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्ज जिन में 6–6, 8–8, 10–10 और 12–12 यूनियनें बन चुकी हैं ।

श्री शिवचंद्र झा प्रसाद (जमशेदपुर): एक ही पार्टी की भी तो होती हैं ।

श्री मधु लिमये : एक ही पार्टी की दो दो भी कभी कभी हो जाती हैं और खास कर के आई.एन. टी. यू. सी. तो इस में बहुत माहिर है । इन संघों के बीच में जो टकराव रहता है, जो स्पर्धा रहती है और जो संघर्ष चलता है, कई दफा इस कारण से औद्योगिक शांति पीछे पड़ जाती है । हमारे उद्योगों में जो हड़तालें आदि होती हैं उनका अगर ठीक तरह विश्लेषण किया जाए तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मांगें वगैरह असल में कुछ नहीं रहती हैं, मालिकों और मजदूरों के बीच में भी कोई विशेष संघष नहीं होता है लेकिन किस यूनियन को मान्यता मिले इस बात को लेकर झगड़ा रहता है और यह झगड़ा कभी कभी विकृपत रूप भी

धारण कर लेता है । इस लिए यह जरूरी हो गया है कि कौन यूनियन प्रतिनिधिक यूनियन है इस का फैसला करने के लिए कोई मशीनरी कायम की जाए या कोई इंतजाम किया जाए ।

बम्बई में बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंज ऐक्ट है । यहां पर भूतपूर्व मजदूर मंत्री श्री शान्तिलाल जी बैठे हुए हैं । वह जानते हैं कि इस कानून की तहत एक बहुत ही तफसील में जाकर कुछ एक मशीनरी तैयार की गई थी । लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि कभी कभी कानून की निगाह में जो प्रतिनिधिक यूनियन है रिप्रिजेंटिव यूनियन है, उसको असल में मजदूरों का कोई समर्थन नहीं रहता । नतीजा यह होता है कि ये तथाकथित प्रतिनितनिधिक यूनियनें समझौते करती जाती हैं और ठीक इन समझौतों के खिलाफ समुचय मजदूरों में असन्तोष उत्पन्न होता है और हड़तालें वगैरह भी होती हैं । इसलिए मैंने बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंज ऐक्ट की जो धारा है प्रतिनिधिक यूनियन निश्चित करने के बारे में उसमें कुछ तबदीली चाही है और उस तबदीली का स्वरूप यह है कि बैलट द्वारा जो दो साल में एक दफा हो, यूनियनों के जो दावे हैं कि हम प्रतिनिधिक यूनियनें हैं, उसके ऊपर मजदूरों को फैसला करने का मौका मिले ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may continue his speech next time.

18.23 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Thursday, the 28th March, 1968, passed the enclosed motion concurring in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and re-delimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith. The names of the members nominated by the Rajya Sabha to serve on the said Joint Committee are set out in the motion.

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and re-delimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith, and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serv on the said Joint Committee:—

1. Shri Neki Ram.
2. Shri D. D. Kurre.
3. Shri K. S. Chavda.
4. Shri D. Sanjivayya.
5. Shri Sheel Bhadra Yajee.
6. Shri Emonsing M. Sangmma.
7. Dr. Shrimati Phulrenu Guha.